राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 112 / 2025

निर्णय दिनांक : 15.07.2025

दायर दिनांक – 26.06.2025

1. सुरजा पत्नी नानूराम जाति जाट निवासी बाघसरा आथूणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ....प्रार्थिनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू ....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान बाघसरा आथूणा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 403 के खसरा संख्या 634 / 34 तादादी 4.4384 है0 प्रार्थिनी व अन्य की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थिनी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में सदुदेवी दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थिनी का सही नाम सुरजा है। अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड आदि में प्रार्थिनी का सही नाम सुरजा ही अंकित है।

प्रार्थिर्नी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दस्तोवजों यथा आधारकार्ड आदि में प्रार्थिनी का सही नाम सुरजा अंकित है जबकि जमाबन्दी में सदुदेवी अंकित है जो अशुद्ध है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सदुदेवी की बजाय सुरजा दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड आदि में प्रार्थिनी का नाम सुरजा अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थिनी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही बाघसरा तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 403 के खसरा संख्या 634/34 तादादी 4.4384 है0 में दर्ज खातेदार का नाम सदुदेवी के स्थान पर सुरजा दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़